प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –323 / 2023

अनवान : –

1. अमरजीत सिंह पुत्र अजमेर सिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी मोधुवाली तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. दर्शन सिंह पुत्र अजमेर सिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी मोधुवाली तहसील नोहर।
2. परमजीत कौर पत्नी बलवीर सिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी मोधुवाली तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **वादी**

निर्णय **दिनांक: 19.05.2023**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा 22 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता स0 44 / 40 की कुल 1.3200 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं रोही मौजा 22 जेएसएन के खाता स0 52 / 46 की कुल 4.2630 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी एवं प्रतिवादी स0 1 सगे भाई है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण ने उपरोक्त भूमि बाबत पारिवारिक समझौता किया हुआ है जिसके अनुसार रोही मौजा 22 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता स0 44 / 40 की कुल 1.3200 हैक्ट भूमि में से प0न0 324 / 398 (41) किला न0 12 / 2 की 0.042 हैक्ट, 19 / 1 की 0.1960 हैक्ट किला न0 18 के मिन पश्चिम की 0.015 हैक्ट भूमि पर प्रतिवादी स0 2 काबिज है एवं शेष भूमि पर वादी काबिज है व रोही मौजा 22 जेएसएन के खाता स0 52 / 46 की कुल 4.2630 है भूमि में से प0न0 324 / 397 (38) के किला न0 23 की 0.2530 हैक्ट भूमि पर वादी काबिज है शेष भूमि पर प्रतिवादी स0 2 यथावत काबिज है वादी ने उक्त भूमि के बदले में बलहार मेहमा सवाई तहसील व जिला भटिण्डा पंजाब मं स्थित भूमि में अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा प्रतिवादी स0 1 के पक्ष में परित्याग कर दिया है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा की वादी के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया ... वादी का वाद डिक्री फरमावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:21:14 IST
Reason: SelfAttested

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया ... प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी स0 1 व 2 ने उपस्थित आकर वादी के ... को स्वीकार करते ... जवाब इकबाल दावा व पारिवारिक समझौता पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी डिक्री फरमाया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 का इकबाल/आपसी सहमति मजमें आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादीगण स0 1 ता 2 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के रोही मौजा 22 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता स0 44/40 की कुल 1.3200 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं रोही मौजा 22 जेएसएन के खाता स0 52/46 की कुल 4.2630 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझाा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 2 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 22 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता स0 44/40 की कुल 1.3200 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर उपरोक्त भूमि में से प0न0 324/398 (41) किला न0 12/2 की 0.042 हैक्ट, 19/1 की 0.1960 हैक्ट किला न0 18 के मिन पश्चिम की 0.015 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी स0 2 को खातेदार काश्कार घोषित किया जाता है एवं शेष भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा 22 जेएसएन के खाता स0 52/46 की कुल 4.2630 हैक्ट भूमि मे से प0न0 324/394(38) के किला न0 23 की 0.2530 हैक्ट भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष भूमि प्रतिवादी स0 2 के नाम यथावत रहेगी। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 19/5/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:21:14 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–रामगढ़

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –323/2023

अनवान : –

1. अमरजीत सिंह पुत्र अजमेर सिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी मोधुवाली तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. दर्शन सिंह पुत्र अजमेर सिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी मोधुवाली तहसील नोहर।
2. परमजीत कौर पत्नी बलवीर सिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी मोधुवाली तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 323 सन 2023 निर्णय दिनांक 19.05.2023

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान – 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 22 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता स0 44/40 की कुल 1.3200 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर उपरोक्त भूमि में से प0न0 324/398 (41) किला न0 12/2 की 0.042 हैक्ट, 19/1 की 0.1960 हैक्ट किला न0 18 के मिन पश्चिम की 0.015 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी स0 2 को खातेदार काश्कार घोषित किया जाता है एवं शेष भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा 22 जेएसएन के खाता स0 52/46 की कुल 4.2630 हैक्ट भूमि मे से प0न0 324/394(38) के किला न0 23 की 0.2530 हैक्ट भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष भूमि प्रतिवादी स0 2 के नाम यथावत रहेगी। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 19/5/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–रामगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:21:14 IST
Reason: SelfAttested